



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2005/ज्यैष्ठ 24, 1927

No. 165]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2005/JYAISTHA 24, 1927

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिवार कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 जून, 2005

सं. एन 23011/116/2004-नीति (रा.ज.आ.).—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में, जनसंख्या स्थिरता कोष (जे एस के) की सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक विधिवत् पंजीकृत सोसाइटी होने पर, एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। सरकार ने जनसंख्या स्थिरता कोष का पुनर्गठन करने तथा इसको सदस्यता का विस्तार करने का निर्णय लिया है। जनसंख्या स्थिरता कोष के शासी बोर्ड ने इसे अपनी 22 मार्च, 2005 को आयोजित की गई बैठक में अनुमोदित किया। तदनुसार, जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय (जनरल बोर्ड) एवं शासी बोर्ड की तत्काल प्रभाव से पुनर्चयना निम्न प्रकार से की जाती है :—

### सामान्य निकाय

क्रम सं०	नाम एवं पता	कोष में पदनाम
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
5.	सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
6.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
7.	सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
8.	संघ शासित क्षेत्रों/राज्य सरकारों के सचिव (परिवार कल्याण)	सदस्य
9.	जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्रों में तथा इसके समवर्गी क्षेत्रों के जनांकिकीविद् (डेमोग्राफर्स) एवं विशेषज्ञ	सदस्य
10.	उद्योग एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	जनसंख्या स्थिरीकरण और इसके संबद्ध क्षेत्रों अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्न्तगत परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े हुए गैर-सरकारी संगठन	सदस्य
12.	चिकित्सीय एवं अर्द्ध-चिकित्सीय संघ	सदस्य

जनसंख्या स्थिरता कोष (जे एस के) के सामान्य निकाय की सदस्यता, राज्य सरकारों, स्थानीय स्व-शासन संस्थानों, जनांकिकीविदों (डेमोग्राफरों) और जनसंख्या स्थिरीकरण एवं इसके संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं इसके संबद्ध क्षेत्रों या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े हुए क्षेत्रों में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों, चिकित्सीय एवं अर्द्ध-चिकित्सीय संघों, उद्योग एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधियों, आम नागरिकों, संस्थाओं आदि के लिए उन निश्चित प्रक्रियाओं/ तौर-तरीकों एवं शर्तों के आधार पर खुली हुई है जिनको इसके सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) द्वारा निर्धारित किया जाए। केन्द्रीय सरकार जनसंख्या स्थिरता कोष की इसके सदस्यता से संबंधित अभियान को पहले तीन वर्षों में सहायता देगी।

### शासी बोर्ड

जनसंख्या स्थिरता कोष के शासी बोर्ड में, अध्यक्ष एवं सदस्य सांचेव सहित 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जनसंख्या स्थिरता कोष के शासी बोर्ड के दस सदस्यों का चुनाव, सामान्य निकाय के सदस्यों में से जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा दो वर्षों के लिए किया जाएगा। उनमें से कोई भी सदस्य लगातार दो से अधिक कार्यकालों के लिए चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। शासी बोर्ड के नए सदस्यों का चुनाव होने तक मौजूदा सदस्य पद पर बने रहेंगे। तदनुसार, जनसंख्या स्थिरता कोष के शासी बोर्ड की रचना निम्न प्रकार से रहेगी :-

क्रम सं०	नाम व पता	पदनाम
1.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
3.	सचिव, बाल एवं महिला कल्याण विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
5-14	सामान्य निकाय से चुने गए 10 सदस्य	सदस्य
15.	कार्यकारी निदेशक	सदस्य सचिव (पदेन)

सरकार, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए, जनसंख्या स्थिरता कोष के साथ एक आवश्यक सीमा तक ही जुड़ी रहेगी।

- (i) सिविल सोसाइटी में से समुचित प्रबंधन ढांचे को प्रेरणा देना एवं स्थापित करना जिसको अन्ततः जनसंख्या स्थिरता कोष को सोपा जा सकता है;
- (ii) प्रारंभिक वर्षों में भागीदार की भूमिका निभाना, सिविल सोसाइटी के प्रबंधन ढांचे की सहायता करना तथा सहयोग देना, जनसंख्या स्थिरता कोष को सुदृढ़ करना एवं उसका विस्तार करना और समयबद्ध तरीके से इसके क्रियाकलापों का व्यापक रूप से विस्तार करना;
- (iii) नीधि (फंड) के दुरुपयोग और जनसंख्या स्थिरता कोष के प्रबंधन ढांचे में सिविल सोसाइटी के किसी सिमित वर्ग के एकाधिकार को रोकने के लिए सहयोग देना और अवशिष्ट भूमिका के साथ जनसंख्या स्थिरता कोष में बने रहना; और

(iv) नागरिक सोसाइटी के संघर्षरत समुह (दल) जिनकी जनसंख्या स्थिरता कोष की प्रबंध संरचना में भाग लेने की संभावना है, उनके बीच जब कभी आवश्यकता हो तब एक निर्णायक की भूमिका अदा करना।

संघ के ज्ञापन में अनुकूल संशोधन जब भी आवश्यक होगा कर लिया जाएगा तथा नियम-विनियम बना लिए जाएंगे। संघ के संशोधित ज्ञापन तथा नियमों-विनियमों की प्रतिलिपि सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली सरकार तथा कोष के सभी सदस्यों के पास रख दी जाएगी।

प्रसन्न होत, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(Department of Family Welfare)  
RESOLUTION

New Delhi, the 14th June, 2005

No. N. 23011/116/2004-Ply (NCP).—The Janasankhya Sthirata Kosh (JSK) has been set up as an autonomous body in the Ministry of Health and Family Welfare, duly registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860. The Government has decided to reconstitute and to expand the membership of the JSK. The Governing Board of Janasankhya Sthirata Kosh approved the same in its meeting held on 22nd March, 2005. Accordingly, the General Body and the Governing Board of the Janasankhya Sthirata Kosh are restructured as under with immediate effect :—

**General Body:**

Sl. No.	Name & Address	Designation in the Kosh
1.	Minister of Health & Family Welfare, Government of India.	Chairperson (Ex-Officio)
2.	Minister of State for Health & Family Welfare, Government of India.	Vice Chairperson (Ex-Officio)
3.	Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of India.	Member (Ex-Officio)
4.	Secretary, Department of Women and Child Development, Government of India.	Member (Ex-Officio)
5.	Secretary, Department of Elementary Education, Government of India.	Member (Ex-Officio)
6.	Secretary, Department of Rural Development, Government of India.	Member (Ex-Officio)
7.	Secretary, Planning Commission, Government of India.	Member (Ex-Officio)
8.	Secretaries (FW) of UTs/State Governments.*	Members
9.	Demographers, and Specialists in the field of population stabilisation and its allied sectors.*	Members
10.	Representatives from the Associations of Industry and Trade*	Members
11.	Non-Governmental Organisations active in the field of population stabilisation and its allied sectors or associated with the Family Welfare and Health Sectors under the Ministry of Health and Family Welfare*	Members

12	Medical and Para-medical Associations*	Members
----	--	---------

\*The membership of the General Body of the Janasankhya Sthirata Kosh (JSK) is open to State Governments, local self-government institutions, Demographers, and Specialists in the field of population stabilisation and its allied sectors, NGOs active in the field of population stabilisation and its allied sectors or associated with the Family Welfare and Health Sectors under the Ministry of Health and Family Welfare, Medical and Paramedical Associations, Representatives from the Associations of Industry and Trade, General Citizens, Institutions etc. on such modalities and terms as may be finalized by the General Body. The Central Government would assist the JSK for the first three years in its drive for membership.

#### Governing Board:

The Governing Board of the JSK will consist of not more than fifteen members including the Chairperson and Member-Secretary. Ten members of the Governing Board of JSK will be elected by the members of the General Body of JSK for a period of two years from amongst the members of the General Body. None of them will be eligible for such election for more than two consecutive terms. Until the fresh members of the Governing Board are elected, the existing members of the Governing Board shall continue to hold office. Accordingly, the Governing Board of JSK would be as under:

Sl. No.	Name & Address	Designation
1.	Secretary (H&FW), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India	Chairperson (Ex-officio)
2.	Secretary, Planning Commission, Government of India.	Member (Ex-officio)
3.	Secretary, D/o Women and Child Development, Government of India.	Member (Ex-officio)
4.	Secretary, D/o Elementary Education, Government of India.	Member (Ex-officio)
5-14.	Ten Members to be elected from the General Body.	Members
15.	Executive Director	Member-Secretary (Ex-Officio).

The Government would be associated with JSK only to the extent necessary, to ensure the following:

- (i) To stimulate and create a proper management structure from within Civil Society, to which JSK can be ultimately handed over;
- (ii) To play the role of a partner in the initial years, to aid and assist the management structure of the Civil Society, to strengthen and rollout the JSK, and spread its activities far and wide in a time-bound manner;

- (iii) To remain present in the JSK with the residual role of a watchdog to prevent misuse of the Fund, and to prevent monopoly of any limited segment of the Civil Society in the management structure of the JSK; and
- (iv) To act, when needed, as an umpire among the contending group of Civil Society which are expected to participate in the management structure of the JSK.

The suitable modifications in the Memorandum of Association and Rules and Regulations will be made as and where necessary. A copy of the revised Memorandum of Association and Rules and Regulations will be filed with Registrar of Societies, Government of NCT Delhi and to all members of the Kosh.

PRASANNA HOTA, Secy.